Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

E4831
v2

उत्तर प्रदेश

प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना

पर्यावरणीय एवं सामाजिक
प्रबन्धन प्रारूप (ई0एस0एम0एफ0)

सारांश

ड्राफ्ट
फरवरी, 2015

राज्य पर्यटन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

विवरण तालिका :–

1– प्रस्तावना

2– परियोजना का विस्तार एवं संस्थागत व्यवस्थायें

2.1– परियोजना के अभाव

2.2– परियोजना की संस्थागत व्यवस्था

3– उपपरियोजनाओं के सम्भावित नकारात्मक प्रभाव

3.1– पर्यावरणीय प्रभाव

3.2– सामाजिक प्रभाव

3.3– सांस्कृतिक धरोहरों विषयक प्रभाव

4– परियोजना पर लागू विधायी एवं सुरक्षा मानक नीतियाँ

5– सुरक्षा मानक प्रबन्धन प्रक्रिया

5.1– संस्थागत व्यवस्था

5.2– परीक्षण एवं संसूचना

5.3– कठिनाईयों हेतु तंत्र

6– सुरक्षा मानकों का क्रियान्वयन एवं परीक्षण

तालिक सूची :–

तालिका–1 मुख्य विधान, नियोजन एवं नीतियाँ

तालिका–2 अधिकारों का निस्तारण

तालिका–3 सामाजिक प्रधानों में कमी, परीक्षण, दायित्व एवं समय सीमा का निर्धारण

तालिका–4 पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक धरोहरों से सम्बन्धित प्रभावनों में कमी, उत्तरदायित्व तथा समय सीमा का निर्धारण।

प्रस्तावनाः–

पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा इस ''पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबन्धन प्रारूप (ESMF) को तैयार किया गया है जिसमें पर्यावरण, सामाजिक तथा साँस्कृतिक धरोहरों से सम्बन्धित मूल्यांकन/प्रक्रिया एवं सम्बन्धित सुरक्षा मानक नीतियों को सम्मिलित किया गया है। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत इसे वित्त पोषित किया जायेगा। वर्तमान अभिलेख द्वारा (ESMF) का सारांश प्रस्तुत किया गया है। यह मानते हुये कि विश्व बैंक इस परियोजना की संरचना तथा कार्यान्वयन के लिये महत्वपूर्ण वित्त–पोषण करता है, ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा मानक नीतियाँ परियोजना पर लागू होगी। इन नीतियों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों, उनके पर्यावरण तथा साँस्कृतिक सम्पत्तियों को विकास प्रक्रिया के मध्य होने वाली क्षति से बचाना एवं कम करना है।

विश्व बैंक की सुरक्षा मानक प्रक्रिया के अनुपालन में राज्य के पर्यटन विभाग को एक ''पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रारूप'' (ESMF) को विकसित किये जाने की आवश्यकता है। ESMF एक तकनीकी मार्गदर्शक की भूमिका निभायेगा ताकि राज्य पर्यटन विभाग एवं सरकारी, निजी, सिविल सोसायटी तथा विशेषज्ञ स्तर पर उसके सहभागी सम्भावित पर्यावरणीय, सामाजिक तथा साँस्कृतिक आशंकाओं एवं परियोजना के कुप्रभावों का पता लगाकर परियोजना की संरचना से क्रियान्वयन तथा उसके उपरान्त संचालन/रख–रखाव के स्तर तक इनका निराकरण सुनिश्चित कर सकें।

इसके अतिरिक्त वाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिये निर्धारित सरकार की प्रक्रिया के अनुसार इस परियोजना की भी संरचना तथा कार्यान्वयन इस प्रकार से किया जाय ताकि राष्ट्रीय विधायन, नियमन तथा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर को बचाया जाय, सामाजिक विकास तथा पर्यावरणीय प्राविधान सम्पन्न किये जा सकें। परियोजना की स्थिति तथा प्रस्तावित निवेश एवं गतिविधियों के आधार पर विशिष्ट राज्य एवं स्थानीय स्तर के मानकों तथा नियमन को भी लागू किया जाय।

परियोजना का विस्तार एवं संस्थात व्यवस्थायें:–

उत्तर प्रदेश प्रो–पुअर पर्यटन विकास योजना का उद्देश्य गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना तथा बौद्ध परिपथ, ब्रजक्षेत्र तथा आगरा पर्यटन के विकास को बढ़ावा देकर उनकी आय के अवसरों में वृद्धि की जाये।

परियोजना के अवयव :–

परियोजना के चार प्रस्तावित अवयव हैंः–

गण्तव्य नियोजना एवं शासनः– इसका उद्देश्य एक ऐसे संस्थागत ढाँचे, नीतियों तथा समन्वय तंत्र की स्थापना करना है जो प्रभावी गन्तव्य स्तरीय पर्यटक नियोजन एवं शासन के माध्यम से परामर्शी एवं तकनीकी सहायता तथा वित्त पोषण कर (क) परियोजना के लक्षित क्षेत्रों के लिये गन्तव्य स्तरीय पर्यटन विकास योजनायें तैयार कर सकें। (ख) लक्षित क्षेत्रों के लिये स्पष्ट ब्रान्डिंग एवं प्रोत्साहन रणनीति कर सकें (ग) राज्य एवं स्थानीय स्तर पर पर्यटन सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर सकें (घ) प्रभावी पर्यटन सूचना तंत्रों को विकसित कर सकें (ड़) आगन्तुक प्रबन्धनतंत्र का सुधार कर सकें एवं (च) उ0प्र0 में पर्यटन सेक्टर के प्रभावी विकास के लिये नियमों में संशोधन कर सकें।

अवयव–2 पर्यटक उत्पादों का विकास एवं प्रबन्धन।

इसका उद्देश्य पर्यटकों के अनुभवों में वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर जीवनशैली में सुधार करने तथा जीविकोपार्जन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करते हुये वर्तमान में स्थित पर्यटन आकर्षणों को सफल पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित करना है। इस अवयव के अन्तर्गत गतिविधियों में परामर्शीय एवं तकनीकी सहायता के अतिरिक्त वित्त पोषण में (क) वर्तमान प्रमुख आकर्षणों को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिये आलोक व्यवस्था, दृष्यावली, सुरक्षा) (ख) विजिटर्स सेन्टर्स, साईनेजेज तथा सूचना केन्द्रों सहित स्मारकों एवं रूचि के स्थलों पर व्याख्या एवं सूचना की व्यवस्था, (ग) गणतव्य स्तरीय गतिविधियों का विकास एवं विस्तार करना जैसे संग्रहालयों तथा हेरिटज वाक्स (घ) पर्यटकों तथा स्थानीय समुदायों को एक जैसी मूलभूत सुविधायें प्रदान करना तथा (ड़) पर्यटन सेक्टर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों तथा समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

अवयव–3 स्थानीय सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करना।

इस उद्देश्य परियोजना के लक्षित क्षेत्र में सृजनात्मक अर्थव्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों के जीवन, कार्यशैली तथा आर्थिक दशा को सुधारना तथा उन्हें परामर्शी एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हुये वित्त पोषण के माध्यम से (क) उनका कौशल विकास करना, (ख) मूलभूत ढाँचा प्रदान करते हुये उन्हें उत्पादन तथा विनियन के लिये तैयार करना तथा (ग) स्थानीय सृजनात्मक उद्योंगों तथा व्यापार विकास के लिये प्रशिक्षण प्रदान करते हुये ब्रान्डिंग एवं प्रोत्साहन रणनीतियों का विकास करना।

अवयव–4 परियोजना प्रबन्धन।

इसका उद्देश्य परियेाजना के लिये समुचित प्रबन्घन तथा समन्वय को आवश्यक तकनीकी तथा परामर्शी सहायता प्रदान कर (क) लखनऊ में संचालन के लिये एक

राज्य परियोजना समन्वय इकाई (एस0पी0सी0यू0) की स्थापना तथा चयनित लक्षित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता इकाईयों की स्थापना करना (ख) परियेाजना का परीक्षण तथा मूल्यांकन तथा (ग) परियेाजना का संचार।

परियेाजना के बहुक्षेत्रीय स्वरूप तथा राज्य के तीन क्षेत्रों में स्थित इसके भोगौलिक विस्तार को देखते हुये इसकी समस्त उप परियेाजनाओं को पूर्व में ही वित्त पोषण के लिये तय नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित उप परियेाजनाओं को मुख्य परियेाजना के अनुमोदन के पश्चात ही विकसित किया जा सकेगा।

2.2 परियोजना के संस्थागत व्यवस्थायें :–

परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सुरक्षा मानक नीतियों के समुचित लागूकरण तथा परीक्षण के लिये राज्य का पर्यटन विभाग अन्तिम रूप से उत्तरदायी होगा। लखनऊ में राज्य परियोजना समन्वय इकाई (एस0पी0सी0यू0) तथा चयनित लक्षित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता इकाईयाँ (टी0एस0यू0एस0) पर्यटन विभाग की सहायता करेंगे। वर्तमान में वाराणसी, आगरा तथा मथुरा–वृन्दावन में विकास प्राधिकरण एवं कुशीनगर में कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (के0एस0डी0ए0) इस परियोजना के लिये कार्यदायी संस्थायें होंगी। संचलन तथा रख–रखाव उपयोगकर्ता समितियाँ जिनमें सेवायें तथा ढाँचागत उपयोगकर्ता सम्मिलित है, का गठन किया जायेगा जो कि परियोजनान्तर्गत सुविधाओं के संचालन, उचित व्यवहार तथा रख–रखाव के लिये आवश्यक है। इन समितियों का मुखिया सीधे कार्यवाही संस्थाओं तथा (एस0पी0सी0यू0) को सूचित करेगा।

3– उप–परियोजनाओं के सम्भावित कुप्रभाव :–

परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उप–परियोजनाओं से स्थानीय क्षेत्र में कुछ व्यवधान हो सकते हैं। ऐसी गतिविधियों तथा मामलों जिनकी सूची नीचे दी जा रही है जिनसे पर्यावरण, सामाजिक समूहों तथा सांस्कृतिक सम्पत्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे प्रभावों को चिन्हीकृत कर ततकाल कम करने अथवा बचाव करने की आवश्यकता है। इसके लिये परियोजना पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के निर्माण/पुर्नवास/पुनर्गठन के समय तथा संचालन एवं रख–रखाव के समय विचार किया जाना चाहिये ताकि उपपरियोजना को संरचना तथा इसके उपरान्त कार्यान्वयन में कोई कठिनाई न हो।

3.1 पर्यावरणीय प्रभाव :–

सामायन्तः किसी परियोजना के सिविल कार्य में ध्वस्तीकरण तथा नया निर्माण, मूल–भूत सेवायें सुलभ कराना, पुनर्वास, पुर्नरचना तथा/अथवा वर्तमान ढाँचे का रख–रखाव, ऐतिहासिक सम्पत्ति/स्थल तथा पब्लिक क्षेत्र, वर्तमान स्थल पर नया निर्माण कराना अथवा वर्तमान स्थल पर/ऐतिहासिक सम्पत्ति/स्थल पर सुविधाओं में

वृद्धि किया जाना, ऐतिहासिक भवनों को पुनः उपयोगी बनाना, साइनेज तथा व्याख्या करना, उपकरणों को बदलना/स्थापित करना, जनसुविधायें, द्रव्यावली तथा वृक्षारोपण सम्मिलित होते हैं।

<u>निर्माण/पुनर्वास/पुनर्रचना के चरण में पर्यावरणीय बिन्दु निम्नवत् हैः–</u>

- पेड़ अथवा मूल वनस्पति को अन्यत्र ले जाने अथवा हटाने की आवश्यकता हो सकती है ताकि ऐतिहासिक भवनों/स्थलों अथवा पर्यटन क्षेत्रों अथवा क्षेत्रों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिये पुनर्वासित किया जा सके।

- ऐतिहासिक ढाँचों से जुड़े वेमेल नये निर्माणों अथवा स्थलों अन्दर ऐसे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जा सकता है ताकि ऐतिहासिक भवनों/स्थलों/क्षेत्रों का पुनर्वासित किया जा सके अथवा इन्हें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्र का बनाया जा सके।

- सामग्री की आपूर्ति के अन्तर्गत परिवहन, आपूर्ति एवं भण्डारण के मध्य धूल, विखराब तथा क्षति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय अनुपालन।

- परिवहन, आपूर्ति एवं निर्माण कार्य से बनाने।

- परिवहन, आपूर्ति एवं निर्माण कार्य से धूल।

- ठोक अपशिष्ट का प्रबन्धन (जो खतरनाक नहीं है) मलबे का एकत्रण, ढुलाई तथा निस्तारण।

- निर्माण उपकरणों से होने वाला उत्सर्जन।

- श्रमिकों तथा आय जन का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा।

- पैकेजिंग अपशिष्ट का निस्तारण।

- यातायात प्रबन्धन

- खुदायी के मध्य कला–कृतियों का पाया जाना।

<u>संचालन एवं रख–रखाव के चरण में मुख्य पर्यावरणीय बिन्दु निम्नवत् है :–</u>

- ठोस अपशिष्ट का निस्तारण

- बर्बाद जल का प्रबन्धन

- नये उपकरणों से ध्वनि (वातानुकूलन आदि)

- खतरनाक पदार्थो का प्रबन्धन

3.2 सामाजिक प्रभाव :–

यद्यपि उपपरियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले मामले सामान्रू प्रकृति के होंगे जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है परन्तु कालान्तर में उपपरियोजना की प्रस्तावित गतिविधियों से कुछ ऐसे मामले भी उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें सामाजिक खतरे अधिक हों अथवा/तथा रूकावटें हों तथा/अथवा प्रभाव हों। उपपरियोजना के परीक्षण प्रक्रिया के मध्य ही ऐसे मामलों की सम्भावनाओं को चिन्हित कर लिया जायेगा।

निर्माण/पुनर्वास/पुनर्रचना के चरण में मुख्य सम्भावित सामाजिक बिन्दु निम्नवत् हैः–

- यद्यपि परियोजना में निजी भूमि को अध्याप्ति की सम्भावना नहीं है तथापि ऐसी भूमि के अनैच्छिक अधिग्रहण से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

- भवनों, जैसे खोन्चे वालों के स्टाल्स, को अन्यत्र ले जाने अथवा हटाये जाने की आवश्यकता हो सकती है ताकि ऐतिहासिक भवनों/स्थलों/क्षेत्रों को पुनर्वासित किया जा सके अथवा इन्हें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके।

- सुरक्षा की दृष्टि से जनता के लिये उपलब्ध मैदानों को घेरकर बाड़ा बनाने की आवश्यकता हो सकती है जिससे व्यक्तियों को अपनी भूमि अथवा सम्पत्तियों (फसल सहित) तक पहुँचने का रास्ता बन्द हो सकता है। खोन्चे वालों के स्टाल्स को बाड़े के बाहर अथवा अन्दर स्थानान्तरित किया जा सकता है (इससे उनके ग्राहकों की संख्या प्रभावित हो सकती है)।[1]

- निर्माण गतिविधियों के मध्य कुछ अस्थाई प्रभाव हो सकते हैं जैसे धूल, ध्वनि, गाड़ियों के आवागमन में वृद्धि तथा रात्रि के समय प्रकाश।

- छोटे–छोटे व्यापार तथा व्यक्तियों पर कुछ आर्थिक नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं जो अनौपचारिक रूप से भवनों/स्थलों तथा ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत है जहाँ पुर्नवास किया जाना है। इसके लिये ऐसे नकारात्मक प्रभावों से बचने की आवश्यकता है तथा लागू पुर्नस्थापन प्राविधानों के अन्तर्गत उनके जीविकोपार्जन को पुर्नस्थापित करने की आवश्यकता है।

- खोन्चे वालों की दुकानों अथवा छोटे व्यापारियों को हटाने अथवा अन्यत्र स्थापित करने से उनकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा विशेषकर महिला खोन्चे वालों तथा छोटे उद्यमियों पर इसके लिये उपयोजन के स्तर पर ही कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

---

1 यदि परियोजना के मध्य किसी निजी भूमि को लिये जाने की आवश्यकता होती है तो सर्वप्रथम परीक्षण तथा मूल्यांकन कर सम्भावित कुप्रभावों का आकलन किया जायेगा तथा इसकी क्षति को कम करने एवं (ई0एस0एम0एफ0) में स्वीकार किये गये अधिकार प्रारूप के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जायेगी।

संचालन तथा रख–रखाव के चरण में मुख्य सम्भावित सामाजिक बिन्दु निम्नवत् है :–

- उपपरियोजना से होने वाले असमान लाभों से विशेषकर महिलाओं, युवाओं तथा अन्य दूसरे कमजोर एवं सांस्कृतिक समूहों को प्रभावित होने के कारण अन्तर–सामुदायिक झगड़े उत्पन्न होंगे।

- सार्वजनिक क्षेत्रों में हिंसा तथा प्रताड़ना से महिलाओं, युवाओं तथा दूसरे अन्य कमजोर एवं सांस्कृतिक समूहों पर विपरीत आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।

- खोन्चे वालों तथा छोटे व्यापारियों, जिन्हें हटाया गया है अथवा पुर्नस्थापित किया गया है, अपने मूल स्थान पर नहीं लौट सकेंगे जिससे उन्हें आय में महत्वपूर्ण क्षति होंगी।

- यदि ठोस अपशिष्ट का निस्तारण उचित ढंग से नहीं होता है अथवा निर्माण की अवधि में उपकरणों से उत्सर्जन, ध्वनि, धूल का प्रबन्धन नहीं होता है तो स्वास्थ्य सम्बन्धी मामले उत्पन्न होंगे। श्रमिकों एवं समुदायों के मध्य झगड़े।

- यदि कार्यान्वयन अवधि में यातायात प्रबन्धन नहीं होता है तो समुदायों को असुविधा होगी।

- श्रमिकों के आने से सामुदायिक ढाँचे पर अतिरिक्त प्रभाव।

3.3 साँस्कृतिक धरोहरों पर प्रभाव :–

साँस्कृतिक सम्पत्तियों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव सामान्यतः इन श्रेणियों में आते हैंः– क्षति, विध्वंस, जीर्ण होना, हटाना, भूमि में दबा देना, सुधार, उपयोग परिवर्तन, उपेक्षा, पहुँच को रोकन तथा अपवित्र करना। ऐसे प्रभावों के उत्पन्न होने के अनेक कारण है।

ऐसी साँस्कृतिक सम्पत्तियाँ जो विशेष रूप से प्रभावित होती है, को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। आवश्यक नहीं है प्रभावित सम्पत्तियाँ उपपरियोजना के निर्माण अथवा अभियांत्रिकीय क्षेत्र में अवस्थित हो, कुछ मामलों में यह क्षेत्र से दूर भी स्थित हो सकती है।

निर्माण / पुनर्वास / पुर्नरचना चरण में सामान्य बिन्दु है :–

कार्य शिविर :–

क) बर्बरता, चोरी तथा अवैध रूप से चल सम्पत्तियों का निर्यात, स्मारकों सम्बन्धी साँस्कृतिक सम्पत्तियों के भागों तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में बाबरी श्रमिकों की पहुँच।

ख) पवित्र स्थलों को अपवित्र करना।

खुदायी, निर्माण एवं मिट्टी का ढेर :–

क) मानव–निर्मित, प्राकृतिक तथा मिट्टी में दबी हुयी साँस्कृतिक सम्पत्ति को सीधे भौतिक क्षति अथवा विनाश।

निर्माण की अवधि में यातायात :–

क) कम्पन्न, वायु, मिट्टी, जल प्रदूषण जिससे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित साँस्कृतिक को क्षति जो क्षेत्र के नजदीक स्थित हैं।

भारी निर्माण उपकरणों का उपयोग :–

क) कम्पन्न, जिसके द्वारा आस–पास निर्मित साँस्कृतिक सम्पत्ति को क्षति।

ख) मिट्टी के टीले जिनसे मिट्टी में दबी हुयी पुरातत्विक एवं प्राचीन भौगोलिक सम्पत्ति को क्षति, आस–पास स्थित साँस्कृतिक सम्पत्तियों में पाइप लाईनों एवं नालियों को क्षति।

विस्फोटकों का प्रयोग :–

क) वायु–प्रदूषण तथा कम्पन जिससे समीपवर्ती स्थित भवनों एवं साँस्कृतिक सम्पत्ति को क्षति एवं लैण्डस्लाईड।

बड़े एवं रेखीय निर्माण स्थल :–

क) जीवन संस्कृति तथा साँस्कृतिक सम्पत्ति तक पहुँचने में समुदाय की रोकथाम से होने वाली कठिनाईयाँ।

जल–भराव :–

क) मानव निमित, प्राकृतिक अथवा भूमिगत साँस्कृतिक सम्पत्तियों का जल–मग्न होना तथा विनाश।

ख) जल के स्तर में वृद्धि से सभी प्रकार की साँस्कृतिक सम्पत्तियों को क्षति।

ग) सुरम्य दृष्यावाली को सुन्दरता को क्षति।

पुर्नस्थापनः–

क) समुदाय द्वारा पूर्व से उपयोग की जाने वाली साँस्कृतिक सम्पत्ति तक पहुँच में रोक।

ख) सभी प्रकार की साँस्कृतिक सम्पत्तियों के त्यागने से इनकी उपेक्षा।

ग) पुर्नस्थापन सम्पत्तियों को क्षति/विनाश

<u>अपशिष्ट निस्तारण/भराव :–</u>

क) प्राकृतिक, भूमिगत अथवा जल के नीचे स्थित साँस्कृतिक सम्पत्ति का मिट्टी में दब जाना अथवा क्षति पहुँचना।

<u>संचालन तथा रख–रखाव चरण में आने वाले प्राथकि मामले :–</u>

<u>नयी तथा उच्चीकृत सड़कें :–</u>

1) जन–रूचि की साँस्कृतिक सम्पत्तियों तक पहुँच मार्गों के कारण यातायात में वृद्धि में टूट–फूट तथा..............................का अपमान, चोरी तथा चल एवं कमजोर साँस्कृतिक सम्पत्ति को विध्वंस।

2) नये हाईवेज के निर्माण में बस्ती में रहने वाले समुदायों को अपनी साँस्कृतिक सम्पत्तियों तथा पहुँचने में कठिनाई।

3) बढ़े हुये यातायात से वायु–प्रदूषण तथा कम्पन्न से मानव–निर्मित साँस्कृतिक सम्पत्तियों विशेष कर स्मारकों एवं भवनों को क्षति।

4) बढ़े हुये ध्वनि प्रदूषण से साँस्कृतिक सम्पत्तियों जैसे पर्यटक गन्तव्य, ऐतिहासिक भवन, कार्मिक प्रतिष्ठान तथा कब्रिस्तान का आनन्द लेने में हस्तक्षेप।

5) सुरभ्य क्षेत्रों में.........हाईवेज से पृष्ठावली पर नकारात्मक प्रभाव।

6) सड़कें तथा पुल, जो स्वयं साँस्कृतिक सम्पत्ति का भाग हैं, को बढ़े हुये यातायात से क्षति।

<u>जलाशयों का संचालन अथवा सिंचाई :–</u>

क) जलाशयों के किनारे पर कटाव के कारण पुरातत्विक साँस्कृतिक सम्पत्ति की अवैध खुदायी तथा लूट का खतरा।

ख) तलछट में कमी के कारण नदियों के तेज बहाव से मुहाने पर कटाव जिसको परिणामस्वरूप मानव–निर्मित साँस्कृतिक सम्पत्तियों जैसे स्मारकों को खोखला हो जाना।

प्रेरित विकास :–

क) प्रेरित विकास से टूट–फूट क्षति में वृद्धि, पवित्र स्थलों का अपमान, चोरी तथा चल एवं कमजोर साँस्कृतिक सम्पत्ति का विध्वंस, सुरम्य दृष्यावली/सड़कों की सुन्दरता का प्रयास।

<u>निम्न स्तरीय जल–निकास</u>

क) परिणामी कटाव से पुरातात्विक सम्पत्तियों को क्षति तथा लूट का खतरा।

कारखानों तथा दूसरी सुविधाओं में भारी उपकरणों का प्रयोगः–

क) बढ़े हुये ध्वनि प्रदूषण से साँस्कृतिक सम्पत्तियों जैसे पर्यटक गन्तव्य, ऐतिहासिक भवन, धार्मिक प्रतिष्ठान तथा कब्रिस्तान का आनन्द लेने में रूकावट।

ख) सुरम्य दृष्यावली/नगरों की सुन्दरता का प्रयास

नगरीय विकास :–

क) समुदाय के निवासियों के जीवन सम्बन्धी आँकड़ों तथा बस्तियों की रचना में परिवर्तनों से भीतरी नगरों को क्षति तथा पुराने आवासीय क्षेत्रों के परित्याग एवं उपेक्षा जहाँ निर्मित साँस्कृतिक सम्पत्तियाँ जैसे भारतीय वास्तुविकता।

ख) बेमेल विकास जो वातावरण के अनुकूनल न हो, से नगरों के सौन्दर्य मूल्यों का ह्रास होता है, सम्पत्ति के मूल्य में कमी तथा निर्मित साँस्कृतिक सम्पत्तियों की उपेक्षा।

ग) नगरों की सुन्दरता में कमी।

साँस्कृतिक धरोहर की पुनर्रचना

क) स्थिति, स्वामित्व एवं उपयोग में परिवर्तन से बस्ती की आकृति में बदलाव जिससे मौलिक उपयोगकर्ताओं द्वारा साँस्कृतिक सम्पत्ति का परित्यागा।

ख) अनुपयुक्त सामग्री का प्रयोग अथवा अत्यधिक पुनर्रचना से नगरों पर नकारात्मक प्रभाव।

ग) बढ़े हुये प्रयोग से अत्यधिक टूट–फूट तथा निर्मित साँस्कृतिक सम्पत्ति को क्षति।

साँस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण

क) सूचीकरण, मानचित्र तथा साँस्कृतिक सम्पत्तियों के प्रकाशन से चल सम्पत्तियों की चोरी एवं अवैध व्यापार को प्रोत्साहन।

ख) ऐतिहासिक भवनों के लिये कड़ी आचार–संहिता को लागू करने से उनके अनुकूल पुनः प्रयोग में कठिनाई तथा परित्याग एवं उपेक्षा।

भूमि एवं संरक्षित क्षेत्रों का प्रबन्धन

क) स्थिति, स्वामित्व एवं उपयोग में परिवर्तन से अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार की सम्पत्तियों की उपेक्षा, क्षति, विध्वंस तथा उपयोग परिवर्तन।

भूमि पर दबाव में वृद्धि

क) बढ़े हुये दबाव के कारण वोन्मूलन जैसी गतिविधियाँ तथा सभी प्रकार की साँस्कृतिक सम्पत्तियों को क्षति।

4– विधायन एवं सुरक्षा मानक नीतियों को परियोजना में लागू करना

तालिका–1 में ऐसे सम्बन्धित विधायनों/नीतियों/नियमन की सूची दी गयी है जिन्हें परियोजना के कार्य क्षेत्र से स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के उपरान्त लागू किया जा सकेगा।

तालिका–1 मुख्य विधायन, नियमन एवं नीतियाँ :–

अधिनियम/नीति	विवरण	परियोजना में लागूकरण	उत्तरदायी संस्था
Ancient movements and A.S.I. Act, 1958 (Amended 2010)	सुरक्षा की दृष्टि से कुछ स्मारकों/ स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। चारों ओर 100 मी0 त्रिज्या का क्षेत्रफल निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गा है जिसमें कोई निर्माण/पुर्ननिर्माण नहीं किया जा सकता परन्तु मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। 200मी0 की त्रिज्या का क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र घोषित है। बचाव रख–रखाव व संरक्षण का कार्य ए.एस.आई. द्वारा किया जाना है।	हाँ, लगभग 750 स्मारक /स्थल उ0प्र0 में इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये गये हैं।	ASI के साथ NUA; IHS, INTACH
	भारत सरकार को अधिकृत किया गया है कि स्मारकों विशेष रूप से उन स्मारकों को जो निजी स्वामित्व में है, की सुरक्षा एवं संरक्षण करें। निजी स्मारकों के लिये अधिकारों के अधिग्रहण के माध्यम से कार्यवाही करें।	सम्भवतः यदि कोई उप–परियोजना निजी स्वामित्व के स्मारकों को सहायता करती है	संस्कृति मंत्रालय
The Antiquities	व्यक्तियों तथा संस्थाओं के निजी स्वामित्व वाले खुदायी के पूर्ण के प्राचीन अवशेष/ भवनों का पंजीकरण सुनिश्चित करना।	सम्भवतः यदि किसी उप'–परियोजना में पाये गये अवशेषों हेतु व्यवस्था है।	संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 सरकार
National Tourism Policy,2002	भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, पर्यटन उत्पादों में विविधता, पर्यटन को मूल–भूत सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार, विपणन, वीसा की व्यवस्था एवं हवाई यात्रा।	हाँ, नीति एवं परियोजना के उद्देश्य समान हैं।	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार
Right to Fair compensation and transparency in loud acquisition rehabilitation & resellement Act, 2013	भूमि के अधिग्रहण की दशा में विस्थापित जनसंख्या के अधिकारों को सुनिश्चित करना।	हाँ, भूमि अधिग्रहण तथा/अथवा पुर्नस्थापित की दशा में।	राजस्व विभाग, उ0प्र0 सरकार

Street Vendors (Protection of Livelihood and regusation of Street Vending Act, 2014	सड़क पर खोंचे वालों तथा छोटे दुकानदारों के अधिकारों/दायित्वों को सुनिश्चित करते हुये इसे नियंत्रित करना।	हाँ, यदि छोटी दुकानों का क्षेत्र परियोजनाओं के स्थल में अथवा उसे समीप है।	नगर वेंडिग समितियाँ
Code of Conduct for safe and Hon'ble Tourism, 2010	पर्यटन गतिविधियों में मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को।	हाँ, कोड का उद्देश्य तथा परियोजना के प्रमुख नियंत्रक कार्य समान हैं।	पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार
Environmental (Protection) Act,1986	पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कम करना।	हाँ, कुछ विशिष्ट अनुमतियाँ/ अनापत्तियाँ प्राप्त करना हो सकता है।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 राज्य पर्यटन
Environment	सम्भावित प्रभाव का क्षेत्र तथा मानव संसाधन एवं मानव..........प्राकृतिक श्रोतों पर सम्भावित प्रभावों के आधार पर परियोजनाओं की श्रेणी 'ए' अथवा 'बी' वर्गीकृत करना। श्रेणी 'अ' में स्वीकृत परियोजनाओं के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से तथा श्रेणी 'बी' की परियोजनाओं के लिये..................................... ....से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।	हाँ, यदि परियोजना 'ए' अथवा 'बी'.... के अन्तर्गत आती है।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
The	वन भूमि को गैर–वन भूमि में परिवर्तन को....... बंधित कर वनोन्मूलन की रोकथाम।	हाँ, यदि उपपरियोजना स्थल में वन भूमि सम्मिलित है जैसे मथुरा–वृन्दावन के मध्य वनों का विकास	वन विभाग, उ0प्र0 (5हे0 से कम तथा 40 प्रति0 से कम फसल वाली भूमि) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय
National Forest Policy, 1952 National Forest Policy (Revised, 1988)	**प्राकृतिक वनों की संरक्षा भूमि–कटान की रोकथाम तथा नदियों, झीलों तथा जलकुण्डों के कैचमेन्ट क्षेत्र को खाली कर परिस्थितकीय सन्तुलन का संरक्षण तथा पुर्नस्थापन।**	**हाँ, वन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली उपपरियोजना स्थलों पर लागू होगा जैसे मथुरा–वृन्दावन के बीच वनों का विकास**	**वन विभाग, भारत सरकार तथा उ0प्र0 सरकार**
Wild Life (Protection) Act,	वन जन्तुओं, पक्षियों, पौधों तथा सम्बन्धित	हाँ, जैस सारनाथ में डियर पार्क तथा	मुख्य वन्य जन्तु

1972	वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना है।	चिड़ियाघर की स्थापना।	प्रतिपालक, वन विभाग, उ0प्र0 तथा राष्ट्रीय वन्य जन्तु बोर्ड, भारत सरकार
Water (Prevention and Control of Polution) Act, 1974	जल प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं संरक्षित करने तथा जल को स्वास्थ्य के लिये हितकर बनाये रखना।	हाँ, ऐसी किसी भी उपपरियोजना के लिये जो जल कुण्डों से सम्बन्धित हो जैसे कुण्डों को पुर्नजीवित करना।	उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड
Air (Prevention and Control of Polution) Act, 1981	वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उसे कम करना तथा नियोजन के माध्यम से एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने हेतु बोर्ड का गठन करना।	हाँ, ऐसी उपपरियोजना के लिये जिसमें वायु प्रदूषण तथा गाड़ियों के आवागमन का प्रभाव सम्मिलित है।	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन विभाग
Central Moto Vehicle Act, 1988 Central Motor Vehicles Rules, 1989 Central Moto Vehicles (Ammendment) Rules, 2013 Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014	निर्माण एवं अन्य दूसरे कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों को एक्ट, 1989 में निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है ताकि ध्वनि एवं प्रदूषण से बचा जा सके।	हाँ, यदि वाहनों से निर्माण एवं पुर्नगठन के मध्य प्रभाव पड़ता है।	मोटर वाहन विभाग
Seventy Thirs Constitution Amendment Act, 1992	परियोजना की संरचना तथा कार्यान्वयन के स्तर पर पंचायत स्तरीय संस्थाओं को भागीदारी के माध्यम से निर्णय का अधिकार प्रदान करना है।	हाँ, विशेषरूप से यदि उपपरियोजना पंचायत क्षेत्र में स्थित है जैसे मथुरा में कुण्ड।	पंचायत राज विभाग, उ0प्र0 सरकार
Uttar Pradesh Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites & Rewairs Preservation Act,1956	उ0प्र0 में लगभग 100 स्थल/स्मारक इसके अन्तर्गत संरक्षित है।	हाँ, यदि कोई उपपरियोजना किसी संरक्षित स्मारक/स्थल पर अथवा उसके समीप है।	पुरातत्व निदेशालय, उ0प्र0 सरकार
Uttar Praesh Model Regulations and Byelaws for Conservation of	उ0प्र0 विकास प्राधिकरणों के लिये एक मानक नमूने के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप हेरिटेज मूल्यों के लिये संवेदनशील है। सूचीबद्ध हस्तक्षेप (i)	हाँ, विकास प्राधिकरण इसके लिये मुख्य कार्यदायी संस्था होंगे।	MUDA, VDA, ADA आदि।

Heritage Sites (Uttar Pradesh) Urban Planning and Development Act, 1973	प्रतिबंधित, (ii) विकास प्राधिकरण की अनुमति से सम्भव, (iii) किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं।		
Tourism Policy of Uttar Pradesh, 1998	स्थानीय निकायों के आर्थिक लाभ के लिये विविधतापूर्ण पर्यटन सेक्टर से लाभ उठाना।	हाँ, परियोजना एवं नीति के उद्देश्य समान हैं।	राज्य पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार
UNESCO			
Operative Guide lines for the Implementation of the World Heritiae Convertion, 2013	विश्व हेरिटेज कन्वेन्शन के प्राविधानों को लागू करने के लिये सीमाओं का निर्धारण, बफ़र जोंस, प्रबन्धन तंत्र तथा सूचीबद्ध स्थलों का प्रभावी संरक्षण तथा उनकी ''उल्लेखनीय सार्वभौमिक मूल्य'' को बनाये रखना। भारत में 16 साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों को इस कन्वेंशन के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है।	हाँ, कुछ उपपरियोजनाओं सूचीबद्ध स्थलों के समीप स्थित है तथा प्रबन्धन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।	संस्कृति मंत्रालय, ए0एस0आई0 तथा राज्य पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार
विश्व बैंक की सुरक्षा मानक नीतियाँ			
OP/BP 4.01 पर्यावरणीय मूल्याँकन	सुनिश्चित किया जाना कि विश्व बैंक से वित्त पोषित परियोजनायें पर्यावरणीय दृष्टि से विवेकपूर्ण हों तथा अस्तित्व में बनी रहें।	हाँ, क्योंकि परियोजना से मूल–भूत सुविधायें प्राप्त होंगी अथवा उनमें वृद्धि होंगी। पर्यटन क्षेत्र में तथा साँस्कृतिक एवं प्राकृतिक हेरिटेज स्थलों के समीप बुनियादी ढाँचा तैयार होगा।	विश्व बैंक पर्यटन विभाग
OP/BP 4.11 भौतिक साँस्कृतिक श्रोत	साँस्कृतिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा विशिष्ट प्राकृतिक मूल्य, पूर्व में क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा छोड़े गये अवशेष तथा विशिष्ट पर्यावरणीय गुणों का संरक्षण एवं उच्चीकरण।	हाँ, क्योंकि परियोजना से विकसित तथा मूल–भूत सेवायें तथा बुनियादी ढाँचा प्राप्त होगा जिससे पर्यटन क्षेत्रों में रहने अथवा/ तथा कार्य करने वाले समुदायों में पर्यटक को प्रोत्साहन प्राप्त होगा जिसमें साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक हेरिटेज स्थल सम्मिलित हैं।	विश्व बैंक पर्यटन विभाग।
OP/BP 4.12 पर्यावरणीय मूल्याँकन	यथासम्भव अनैच्छिक पुनर्वास से बचना अथवा कम करना सभी सम्भावित परियोजना प्रारूप के विकल्पों को तलाशना, विस्थापित व्यक्तियों की पूर्व जीवनशैली को सुधारने में सहायता करना, नियोजन एवं पुर्नविस्थापन में समुदाय	हाँ, क्योंकि परियेाजना से विकसित तथा मूल–भूत सेवायें एवं बुनियादी ढाँचा प्राप्त होगा जिससे पर्यटन क्षेत्रों तथा साँस्कृतिक एवं	विश्व बैंक, पर्यटन विभाग

	की भागीदारी सुनिश्चित करना।	प्राकृतिक हेरिटेज स्थलों के समीप घनी बस्तियों व अन्य क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।	
OP/BP 4.04 प्राकृतिक आवास	परियोजनाओं के अन्तर्गत संरक्षण, रख–रखाव तथा प्राकृतिक आवासों का पुनर्वास।	हाँ, क्योंकि परियोजना की कुछ गतिविधियाँ पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित होंगी जैसे रिवर फ्रंट क्षेत्र तथा कुण्ड	विश्व बैंक, पर्यटन विभाग

परियेाजना के अन्तर्गत आने वाले ठेकेदारों, जिनके द्वारा निर्माण कार्य किया जाना है, के लिये यह आवश्यक होगा कि वे सभी लागू विधानों तथा नियमन का पालन करें तथा वेतन का भुगतान, पारिश्रमिक, सेवायोजन शर्तें, श्रमिक अनुज्ञायें जैसे कार्यों की आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर लें।

5– सुरक्षा मानक प्रबन्धन व्यवस्था :–

समस्त सम्बन्धित कानूनों एवं नियमों तथा विश्व बैंक की सुरक्षा मानक नीतियों के पालन के लिये प्रदेश पर्यटन विभाग, पर्यावरणीय, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हेरिटेज को होने वाले खतरों, जो किसी प्रस्तावित उपपरियोजना से उत्पन्न हो सकते हैं, मूल्याँकन करायेगा। इन मूल्याँकनों के निष्कर्ष ही पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (EMP), पुर्नस्थापना कार्य योजना (RAP) लिंग कार्य योजना (PCRMP) का आधार तैयार करेंगे। इन प्रबन्धन योजनाओं से ही परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपपरियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय तथा सामाजिक कुप्रभावों का अनुभान लगाया जा सकेगा तथा उन्हें चिन्हित करने, बचाव करने, कम करने तथा दूर करने के उपयुक्त उपायों तथा कार्यवाही का ज्ञान हो सकेगा।

प्रभाव मूल्याँकन करने तथा तत्पश्चात EMP, RAP, GAP तथा PCRMP के विकास के लिये प्रमुख रूप से निम्न उपाय करने होंगे :–

(i) परीक्षण एवं श्रेणी निर्धारण:–

उपपरियोजना की परिभाषा, विस्तार तथा सही स्थिति जानने के उपरान्त परीक्षण इस प्रक्रिया का पहला चरण है। परीक्षण का उद्‌देश्य प्रस्तावित उपपरियोजना से पर्यावरण, सामाजिक समूहों तथा साँस्कृतिक विरासतों पर पड़ने वाले सम्भावित समूहों तथा साँस्कृतिक विरासतों पर पड़ने वाले सम्भावित नकारात्मक प्रभावों को जानकारी करना तथा ऐसे प्रभावों को प्रकृति, विस्तार तथा आकार का पता लगाना है। परीक्षण से उपपरियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है ताकि तदनुसार समय से इनके लिये अनापत्तियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके। परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर उपपरियोजनाओं की श्रेणी 'ए' 'बी' तथा 'सी' का निर्धारण किया जा सकेगा। श्रेणर 'ए' में ऐसी उपपरियोजनायें होंगी जिनसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।

(ii) प्रभाव मूल्याँकन तथा विकल्पों का विश्लेषण :—

श्रेणियों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त, गम्भीरता के अनुसारे प्रभावों का मूल्याँकन किया जाना आवश्यक होगा। श्रेणी 'ए' की उपपरियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय/सामाजिक/साँस्कृतिक प्रभावों का पूर्ण मूल्यांकन करना होगा, श्रेणी 'बी' के लिये केवल तेजी से मूल्यांकन की आवश्यकता होगी तथा श्रेणी 'सी' के लिये किसी अन्य मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। प्रभावों के मूल्याँकन में ऐसे विस्तृत वैकल्पिक हस्तक्षेपों का समावेश किया जाना चाहिये जिनके नकारात्मक प्रभावों की सम्भावनायें कम हैं।

(iii) स्टेक होल्डर्स का चिन्हीकरण तथा आधारभूत आँकड़ों का एकत्रणः—

यदि कोई परियोजना श्रेणी 'ए' अथवा 'बी' के अन्तर्गत है तो उससे सम्बन्धित समस्त आधारभूत आँकड़ों, जैसे भौतिक, जैविक, सामाजिक—आर्थिक तथा भौतिक साँस्कृतिक सम्पत्तियाँ जो परियोजना क्षेत्र में स्थित है, का एकत्रण आवश्यक है। मुख्य स्टेक होल्डर्स को या तो प्रस्तावित परियेजना से प्रभावित हो सकते हैं अथवा उसे प्रभावित कर सकते हैं जो चिन्हीकरण कर उपपरियोजना में उनकी विशिष्ट भूमिको का मूल्याँकन अवश्य करना होगा।

(iv) प्रभाव कम करने के उपायों/कार्यों कि विकासः—

यदि किसी प्रस्तावित उपपरियोजना से पर्यावरणीय, सामाजिक अथवा साँस्कृतिक विरासत के स्वरूप को खतरा है, तब उन्हें कम करने अथवा प्रबन्धन करने के लिये सम्बन्धित प्रबन्धन योजनायें तैयारर की जानी चाहिये जैसे पर्यावरणीय प्रभावों के लिये EMP, विस्थापित व्यक्तियों के लिये RAP किसी विशिष्ट लिंग प्रभाव के लिये GAP तथा भौतिक धरोहरों पर प्रभावों के लिये RCRMP प्रबन्धन योजनाओं में ऐसे उपायों को सम्मिलित किया जाना चाहिये जो नकारात्मक प्रभावों को रोकें, कम करें अथवा इसकी क्षतिपूर्ति करने के साथ सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि करें EMP तथा RAP के अन्तर्गत यह भी सम्मिलित करें कि प्रभाव कम करने के उपायों को कैसे लागू किया जाय तथा कैसे इस सम्बन्ध में नियमित जानकारी रखी जाय तथा कैसे इस सम्बन्ध में नियमित जानकारी रखी जाय। इसके लिये EMP तथा RAP में ESMP को भी रखा जाय। सामाजिक प्रभावों में कमी लाने के लिये, परियोजना एक पूर्व परिभाषित प्रक्रिया का निम्नवत् पालन करेगी :—

तालिका—2 एनटाइटिलमेन्ट मैट्रिक्स

	लागू करना	सम्बन्धित इकाई की परिभाषा	एन्टाईटिलमेंट	विवरण
ए—	निजी कृषि भूमि, फार्म हाउसेस तथा व्यवसायिक भूमि की क्षति			
1—	भूमि	भू—स्वामित्व वाला परिवार तथा परम्परागत भू—अधिकारों वाला परिवार	बाजार मूल्य पर मुआवजा पुर्नस्थापन/पुनर्वास	**ए)** भूमि के बदले भूमि, यदि उपलब्ध है अथवा भूमि के बदले बाजार मूल्य पर नकद धनराशि जो RFCTLARR Act, 2013 की धारा—26 के अन्तर्गत तय किया जायेगा। **बी)** उपलब्ध करायी गयी भूमि पति एवं पत्नी दोनों के नाम होगी। **सी)** अधिग्रहण के उपरान्त, बची हुयी भूमि यदि आर्थिक

				रूप से अनुपयुक्त है तो भू–स्वामी को यह विकल्प होगा कि वह अपनी शेष भूमि को रखे अथवा बेंच दे। **डी)** बदले में दी गयी भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी तथा किये गये पंजीकरण व्यय की वापसी परियोजना द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को की जायेगी तथा भूमि का क्रय मुआवजा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर करना होगा। **इ)** रू0 36,000/– का जीविकोपार्जन भत्ता एक बार दिया जायेगा। **एफ)** रू0 5,00,000/– का एक बार अनुदान अथवा वार्षिकी। **जी)** फसलों का नुकसान, यदि है, हेतु बाजार मूल्य पर प्रतिपूर्ति।
बी– निजी भवनों (आवासीय/व्यवसायिक) को क्षति :–				
2–	भवन/ ढाँचा	अधिकार प्राप्त व्यक्ति/स्वामी	बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति, पुर्नस्थापन एवं पुर्नवासन सहायता	**ए)** RFCTLARR Act, 2013 की धारा–29 के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य पर नकद क्षति–पूर्ति/ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय आवास योजना के अन्तर्गत मकान अथवा इसके बदले रूपये 50,000/– तथा नगरीय क्षेत्र में RAY के अन्तर्गत मकान अथवा इसके बदले रू0 1,00,000/– मकान आवंटित होने की दशा में यह पति एवं पत्नी दोनों के नाम होगा। **बी)** ध्वस्त ढाँचे से सामग्री निकालने का अधिकार। **सी)**ढाँचे को खाली करने के लिये तीन माह का नोटिस **डी)** वैकल्पिक मकानों/दुकानों को प्रचलित बाजार दर पर क्रय करने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी तााि निबन्धन व्यय (ए) में दर्शाये गये अनुसार वापस होगा। वैकल्पिक मकानों/दुकानों को क्रय करने का कार्य मुआवजा प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर करना होगा। **इ)** यदि भवन आंशिक रूप प्रभावित है तथा शेष भाग उपयोगी है, तब मुआवजे का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान भवन को पुर्नरचित करने हेतु होगा। यदि भवन आंशिक रूप से प्रभावित है तथा शेष भाग अनुपयोगी है तब मुआवजे का 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीवरेन्स भत्ते के रूप में होगा। **एफ)** जीविकोपार्जन भत्ता रू0 36,000/– एक बार अनुदान के रूप में। **जी)** प्रत्येक प्रभावित विस्थापित परिवार को यदि उनके साथ मवेशी भी हैं, रू0 25,000/– की वित्तीय सहायता मवेशियों के लिये शेड के निर्माण हेतु प्रदान की जायेगी। **आई)** पुर्नस्थापन सहायता के रूप में 50,000/– का अनुदान एक बार प्रदान किया जायेगा। जे) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो एक ग्रामीण शिल्पी है, अथवा छोटा व्यापारी है अथवा स्व–रोजगारी है, तथा विस्थापित किया जाता है तो उसे शेड दुकान निर्माण कराने के लिये एक बार रू0 25,000/– की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत किसी आवासीय/व्यवसायिक भवन का प्रभावित स्वामी भी सम्मिलित होगा।

				के) रू0 5,00,000/– का अनुदान एक बार दिया जायेगा।
3–	भवन/ ढाँचा	किरायेदार/लीज होल्डर्स	पुर्नस्थापित/ पुर्नवासित सहायता	**ए)** स्थानीय कानूनों के अनुसार पंजीकृत लीज होल्डर्स ढाँचे के स्वामी को दिये जाने वाले मुआवजे के एक भाग को पाने के लिये अधिकारी होंगे। **बी)** किरायेदारों के मामलों में तीन माह का नोटिस देते हुये उन्हें शिफ्टिंग भत्ते के रूप में रू0 50,000/– की धनराशि प्रदान की जायेगी।
सी– पेड़ों तथा फसलों को क्षति :–				
4–	खड़े हुय वृक्ष तथा फसलें	स्वामी तथा लाभार्थी (पंजीकृत गैर–पंजीकृत किरायेदार, संविदा पर लीज होल्डर्स)	बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति	**ए)** तीन माह का पूर्व नोटिस परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को दिया जायेग ताकि वे अपने फलों/खड़ी फसलों तथा पेड़ों को हटा लें। **बी)** क्षतिपूर्ति के लिये दरों का निर्धारण निम्न द्वारा होगाः– **क)** फर्नीचर की लकड़ी के लिये वन विभाग **ख)** फसलों के लिये राज्य कृषि विस्तार विभाग **ग)** फल/फलों वाले वृक्षों हेतु बागवानी विभाग **सी)** पंजीकृत किरायेदारों, संविदा पर उगाने वाले/ लीज होल्डर्स एवं फसल के पटाईदारों को स्वामी तथा लाभार्थियों के मध्य हुये अनुबन्ध के अनुसार फसलों तथा वृक्षों के लिये मुआवजा दिया जायेगा। **डी)** पंजीकृत किरायेदारों, संविदा पर उगाने वालों/ लीज होल्डर्स एवं फसल के पटाईदारों को स्वामी एवं लाभार्थियों को उनके मध्य आपसी समय के अनुसार वृक्षों एवं फसलों का मुआवजा दिया जायेगा।
आवासीय/व्यवसायिक ढाँचों को क्षति (गैर–स्वामित्व वाले व्यक्ति) :–				
5–	सरकारी भूमि के अन्तर्गत स्थित भवन	भवनों के स्वामी अथवा भवनों के कब्जेदार, जैसा कि Project Censue Survey के अनुसार चिन्हित है।	पुर्नस्थापन तथा पुर्नआवास सहायता	**ए)** स्थायी कब्जेदारों को तीन माह का नोटिस देकर भवन खाली करने को कहा जायेगा। **बी)** अस्थायी कब्जेदारों को RFCTLARR Act, 2013 की धारा–29 के अन्तर्गत नकद धनराशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में किया जायेगा। **सी)** कोई अस्थायी कब्जेदार जिसका 25 प्रतिशत से अधिक भवन का प्रयुक्त भाग प्रभावित है, को नकद सहायता बदले जाने की लागत पर प्रदान की जायेगी जिसका निर्धारण RFCTLARR Act, 2013 की धारा–29 के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी। **डी)** समस्त गैर कानूनी कब्जेदारों को उनके भवनों के बदले नकद सहायता प्रदान की जायेगी जिसका निर्धारण RFCTLARR Act, 2013 की धारा–29 के अनुसार किया जायेगा। **एफ)** सभी गैर कानूनी कब्जेदारों (किआस्क को छोड़कर) को एक बार पक्के भवन के लिये रू0 50,000/– प्रत परिवार तथा अर्द्धनिर्मित भवनों के लिये रू0 10,000/– प्रति परिवार भवन से हटने के लिये भत्ते के रूप में दिया जायेगा। **जी)** ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक प्रभावित शिल्पी छोटे व्यापारी तथा स्व–रोजगारी को रू0 50,000/– नये शेड/दुकान के निर्माण के लिये दिया जायेगा।

				एच) व्यस्कों के मामलों में केवल रू0 5,000/– का अनुदान एक बार दिया जायेगा।
ई– जीविकोपार्जन को क्षति :–				
6–	परिवार	स्वामित्व वाले/ गैर स्वामित्व वाले तथा अन्य कर्मचारी	पुर्नस्थापन /पुर्नवास सहायता	**ए)** जीविकोपार्जन भत्ता रू0 36,000/– एक कर अनुदान के रूप में दिया जायेगा (उपरोक्त (एफ) 2 (एक) तथा 5 (ई) के अन्तर्गत आने वाले PAPs इस सहायता के पात्र नहीं होगें। **बी)** प्रशिक्षण सहायता के रूप में रू0 10,000/– प्रति परिवार आय में वृद्धि हेतु दिये जायेंगे। **सी)** परियोजना के निर्माण कार्य में प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा विशेष रूप से कमजोर समूहों को यथासम्भव इसका लाभ प्रदान किया जायेगा।
एफ– कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता :–				
7–	परिवार	SC, ST, BPL, WHH परिवार	पुनर्स्थापन/ पुर्नवास सहायता	**ए)** अतिरिक्त वित्तीय सहायता एक बार रू0 50,000/– प्रदान की जायेगी। बी) गैर–कानूनी कब्जेदारों तथा कब्जेदारों को, जो Clause-5 के अन्तर्गत आते हैं, यह सहायता अनुमन्य नहीं होगी।
जी– सामुदायिक ढाँचे/सामुदायिक सम्पत्ति श्रोतों को क्षति :–				
8–	ढाँचे एवं अन्य (जैस भूमि, जल, पहुँच मार्ग आदि)	प्रभावित समुदाय एवं समूह	सामुदायिक ढाँचे का पुर्ननिर्माण तथा सामुदायिक सम्पत्ति के श्रोत	समुदाय की सलाह से सामुदायिक ढाँचे तथा सामुदायिक सम्पत्ति श्रोतों का पुर्ननिर्माण।
एच– निर्माण अवधि में अस्थायी प्रभाव :–				
9–	भूमि तथा सम्पत्ति पर निर्माण के समय अस्थायी प्रभाव	भू–स्वामी तथा सम्पत्तियों के मालिक	निर्माणकाल में हुये अस्थायी प्रभावों हेतु क्षतिपूर्ति जैसे सामान्य यातायात में दिशा परिवर्तन	सम्पत्तियों, फसलों तथा अन्य कोई क्षति के लिये ठेकेदार द्वारा मुआवजा दिया जायेगा, जो ठेकेदार तथा प्रभावित पक्ष के मध्य हुये पूर्व समझौते के अनुसार होगा।
आई– पुर्नवास स्थल :–				
10–	आवासीय भवनों को क्षति	विस्थापित किये गये टाइटिल होल्डर्स/गैर टाइटिल होल्डर्स	पुर्नस्थापन स्थलों/वेन्डर मार्केट हेतु प्राविधान	परियोजना के भाग के रूप में पुर्नस्थापन स्थलों को विकसित किया जायेगा यदि कम से कम 25 विस्थापित परिवारों द्वारा सहायतित पुर्नस्थापन का विकल्प चुना जाता है। कमजोर वर्गों PAPs को भूखण्ड/फ्लैट्स के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। भू–खण्डों का आकार खोंचे हुये आकार के समतुल्य होगा परन्तु अधिकमत आकार RFCTLARR Act, 2013 के प्राविधानों के अनुसार होगा। पुर्नवासित स्थल पर प्राथमिक सुविधायें के RFCTLARR Act, 2013 प्राविधानों के तीसरे शेड्यूल

				के अनुसार होगी। इसी प्रकार यदि 25 से अधिक विस्थापित व्यवसायिक प्रतिष्ठान (छोटे व्यापारी) यदि शापिंग इकाईयों का विकल्प चुनते हैं, तब परियोजना का अधिकृत व्यक्ति विस्थापित व्यक्तियों की सलाह से नजदीक के किसी उपयुक्त स्थल पर वेंडर मार्केट का विकास करेगा। प्राथमिक सुविधायें जैसे पहुँच मार्ग, विद्युत संयोजन, जल एवं सफाई आदि वेंडर मार्केट में परियोजना द्वारा सुलभ करायी जायेंगी। एक विस्थापित परिवार को केवल एक भूखण्ड पुर्नवास स्थल पर अथवा एक दुकान वेंडर मार्केट में उपलब्ध करायी जायेगी।

v) जन–परामर्श एवं प्रकटीकरण :–

किसी परियोजना के लिये Feasibility Studies तैयार करने के लिये आम–जन से परामर्श करन आवश्यक हो सकता है परन्तु विश्व बैंक की नीतियों के अनुसार किसी भी श्रेणी की उपपरियोजना के लिये सुरक्षा मानक तंत्र तैयार करते समय ही ऐसे परामर्श किये जायें। राज्य पर्यटन विभाग का यह दायित्व है कि वह ऐसे परामर्शों का आयोजन कर प्रस्तावित उपपरियोजनाओं को स्पष्ट करें, विचार विमर्श करें तथा आम–जन से उनके सुझाव/फीड बैंक प्राप्त करें जिसमें सम्बन्धित सुरक्षा मानक प्रलेख भी सम्मिलित हों। स्थानीय व्यक्तियों जो प्रस्तावित उपपरियोजना के अन्तर्गत सम्भावित रूप से प्रभावित है तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों जो इसमें रूचि रखते हैं, NGOs तथा सम्बन्धित सरकारी संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये, से उपपरियोजना की संरचना से पूर्व अथवा संरचना की अवधि में तथा कार्यान्वयन के समय अवश्य परामर्श की जाय। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सम्भावित प्रभावों तथा सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले स्टेक होल्डर्स को चिन्हित कर लिया गया है। कार्यान्वयन की अवधि में प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श करना आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित व्यक्तियों को प्रभाव के अनुसार समुचित प्रतिपूर्ति कर दी गयी है।

vi) समीक्षा एवं अनुमोदन :–

राज्य पर्यटन विभाग किसी पर्यावरण तथा/अथवा सामाजिक सुरक्षामानक प्रलेखों की अन्तिम समीक्षा तथा अनुमोदन के लिये उत्तरदायी होगा। विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सुरक्षामानक निर्धारित प्रारूप (Framework) का अनुपालन करते हैं। श्रेणी 'ए' में वर्गीकृत की गयी उपपरियोजनाओं के लिये आवश्यक सुरक्षामानक किसी स्वतंत्र परामर्शदाता से तैयार कराये जायेंगे तथा उन्हें भारत में व विश्व बैंक के Infoshop में प्रचारित कराया जायेगा। श्रेणी 'ए' की उपपरियोजनाओं के लिये सुरक्षा मानक यंत्रों की समीक्षा एवं सहमति विश्व बैंक के सुरक्षामानक सचिवालय से प्रदान की जायेगी।

vii) प्रतिबद्धता एवं अनुबंधात्मक दायित्व :–

प्रत्येक राष्ट्र का अनुदान अनुबंध यह आश्वासन देता है कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राप्तकर्ता ESMF तथा सामाजिके सुरक्षा प्रलेखों की आवश्यकताओं का पालन करेगा। राज्य का पर्यटन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ESMF तथा सम्बन्धित पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मानक सम्बन्धी उपवाक्यों को प्रस्तावित उपपरियोजना के अन्तर्गत तैयार की गयी बिडिंग अथवा अनुबंध पत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। विश्व बैंक की प्रक्रिया में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किस प्रकार अनुबांध EMP, RAP, GAP तथा PCRMP की शर्तों में किये गये छोटे या बड़े अतिक्रमण से निपटेगी इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

viii) परीक्षण :–

किसी परियोजना के कार्यान्वयन में प्रत्येक उपपरियोजना के अधीक्षण कार्य में परीक्षण एक अभिन्न अंग है। राज्य पर्यटन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर उपलब्ध प्रबन्धक प्रबन्धन योजनाओं से पूरी तरह भिज्ञ हैं तथा उनके द्वारा श्रमिकों/अन्य को अनुपालन हेतु निर्देशित कर दिया गया है। राज्य के पर्यटन विभाग को अधीक्षण कार्यों को अपनी क्षमता को, किराये पर रखे गये परियोजना प्रबन्धन फर्म द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। निर्माण के पर्यावरणीय, साँस्कृतिक तथा सामाजिक पहलुओं पर निगाह रखना फर्म के कार्य का एक भाग होगा।

ix) संसूचना :–

उपपरियोजनाओं के पर्यावरणीय अधीक्षण का प्रलेखीकरण आवश्यक है। कार्य की प्रगति, गुणवत्ता दूर करने के उपायों का लागूकरण, पर्यावरणीय प्रदर्शन की स्थिति तथा किसी दुर्घटना, आकस्मिकता एवं अप्रत्याशित मामले, जिनसे पर्यावरणीय, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्पादा की वस्तुओं पर प्रभाव पड़ सकता है, को विश्व बैंक को नियमित रूप से जानकारी देना होगा।

6– सुरक्षा मानकों का कार्यन्वयन तथा परीक्षण :–

6.1 संस्थागत व्यवस्थायें :–

परियोजनाओं द्वारा समर्पित टीमों को वित्तपोषित कर लखनऊ तथा परियोजना के लक्षित क्षेत्रों में तैनात किया जायेगा तथा इनका दायित्व उपपरियोजनाओं के क्रियान्वयन में प्रबन्धन, समन्वय तथा परीक्षण करना होगा। राज्य परियोजना समन्वय इकाई (SPCU) लखनऊ में राज्य पर्यटन विभाग के एक एकीकृत भाग के रूप में कार्य करेगी तथा प्रतियोगात्मक रूप से चयन की गयी स्वतंत्र टीमों द्वारा (TSUs), जो परियोजना क्षेत्रों में तैनात होगी, इन्हें सहायता प्रदान की जायेगी। TSUs की तैनाती सैद्धान्ति रूप से आगरा, मथुरा, सारनाथ तथा कुशीनगर में तैनात होगी तथा विकास प्राधिकरण तथा कार्यदायी संस्थाओं के एक भाग के रूप में कार्य करेंगी तथा उपपरियोजनाओं के दिन–प्रतिदिन के कार्यान्वयन में सहायता करेंगी।

सामाजिक हेरिटेज प्रबन्धन तथा पर्यावरण विशेषज्ञों को (SPCU) द्वारा भाड़े पर नियुक्त किया जायेगा जो परियोजना के सभी सुरक्षामानकों का समन्वयन समीक्षा सहायता तथा परीक्षण करेंगे। यह विशेषज्ञ TSUs में तथा कार्यदायी संस्थाओं विशेषज्ञों की क्षमताओं को प्रशिक्षण देकर सुद्रढ़ करेंगे आवश्यकतानुसार परियेाजना के अन्तर्गत पुर्नवास कार्य योजना तथा भौतिक साँस्कृतिक श्रेात योजना के कार्यान्वयन के लिये कुशील सिविल सोसायटी संगठनों को भाड़े पर नियुक्त किया जा सकता है। (SPCU) तथा स्वतंत्र TSUs को प्रतियोगात्मक रूप से चयनित विशेषज्ञों द्वारा उच्च विशिष्ट क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जा सकती है जैसे हेरिटेज सम्पत्तियों की पुर्नरचना।

यह मानते हुय कि राज्य पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार विश्व बैंक से वित्तपोषित किसी परियेाजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा पर्यावरणीय मामलों को हल करने की क्षमता विश्व बैंक की सुरक्षामानक नीति के अनुसार सीमित हैं। इसके लिये राज्य पर्यटन विभाग को परियेाजना स्टाफ को सुरक्षामानक मामलों के प्रबन्धन के लिये प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय एवं संचालन पर्यटन विभाग द्वारा उन संस्थाओं/व्यक्तियों के सहयोग से किया जायेगा जो सुरक्षामानक मामलों में अनुभव प्राप्त है तथा प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की सामग्री में प्रमुख बल (ESMF) संकल्पना, नियमों की आवश्यकता, पर्यावरण तथा सामाजिक प्राथमिकता के बिन्दु, निवेश का परियोजना चक्र, (ESIAs) को रूप–रेखा प्रबन्धन योजनायें तथा रिपेार्ट प्रारूप पर होगा। पाठ्यक्रम में पुर्नस्थापना तथा पुर्नवासन, हेरिटेज नीतियाँ तथा प्रक्रिया भू–अधिग्रहण की प्रक्रिया, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पता लगाना, सामाजिक अधिकारों का स्वरूप, सामाजिक मूल्याँकन, जोखिमों का मूल्याँकन तथा प्रबन्घन कौशल पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। क्षमता विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य पर्यटन विभाग का उद्देश्य स्वतंत्र स्थानीय क्षमता को निवेश के साथ जुड़े पर्यावरणीय सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्पत्तियों के प्रबन्धन को परिप्रेक्ष्य में विकसित करने का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मानव शक्ति के श्रोतों को एक नेटवर्क का विकास किया जायेगा जैसे विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों, सिविल सोसाइटी संगठनों से स्टाफ लिया जाना आदि। इन व्यक्तियों को परियोजना अवधि में प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे परियेाजना सस्थानों को प्रभाव मूल्यांकन तथा बाद में सभी प्रबन्धन योजनाओं (जैसे पुर्नस्थापन कार्य योजना, लिंग कार्य योजना आदि) में सहायता प्रदान कर सकें तथा चालू आधार पर उन्हें सहयोग कर सकें।

5.2 परीक्षण एवं संसूचना :–

(SPCU) एक परीक्षण विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करेंग जो (TSUs) को उपपरियोजनाओं के तहत अधीक्षण में उनकी सहायता कर सके। विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम परियोजना विशेष की संचार गतिविधियों का प्रबन्ध स्थानीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर

पर आवश्यकतानुसार कर सके। (SPCU) सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं तथा (TSUs) के माध्यम से सभी उपपरियोजनाओं का परीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि (ESMF) की आवश्यकताओं के अनुरूप ताल–मेल रहे। परीक्षण में नियेाजन तथा कार्यान्वयन के सभी चरण सम्मिलित होंगे। यह परीक्षण पर्यावरणीय, सामाजिक तथा साँस्कृतिक, सुरक्षामानकों के अनुपालन रिपोर्ट्स के आधार पर किया जायेगा तथा सभी उपपरियेाजनाओं के लिये त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट्स का एक भाग होगा। (SPCU) के पर्यावरणीय, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विशेषज्ञ तथा कार्यदायी सस्थायें/TSUs नियमित रूप से भ्रमण कर परीक्षण कार्य का सम्पादन करेंगे। इसके अतिरिक्त (SPCU) लागू किये जाने वाली प्रबन्धन योजनाओं का नमूने के आधार पर वार्षिक अंकेक्षण भी करेंगे तथा अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। (SPCU) इन अंकेक्षण रिपोर्ट्स की समीक्षा कर प्रबन्धन योजनाओं के अनुपालन से जुड़े बिन्दु जैसे तकनीकी, प्रबन्धकीय, नीति विषयक अथवा नियम विषयक का पता लगायेंगे। इस प्रकार चिन्हित नीति, नियमन तथा तकनीकी मामलों को उपपरियोजना में समाहित करते हुये उचित हस्तक्षेपों की आवश्यकता का निर्धारण किया जायेगा। इन हस्तक्षेपों (ESMF) के प्रलेख में सुधार अथवा राज्य की नीति अथवा कार्यक्रमों का आवश्यकतानुसार उचित विश्लेष्णात्मक अध्ययन जिससे नीति अथवा कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से अनैच्छिक पुर्नस्थापन के मामले में उपपरियोजनाओं के लिये तैयार किये गये पुर्नस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन का पृथक से एक मूल्याँकन दो बार–कर्यान्वयन के मध्य में तथा अन्त में कराया जायेगा। कार्यान्वयन अवधि में (SPCU) द्वारा बैठकों का आयोजन किया जायेगा राज्य की सभी कार्यदायी संस्थाओं को आमंत्रित किया जायेगा जो परियोजना से जुड़े कार्यों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

तालिका–3 सामाजिक प्रभावों को कम करना, परीक्षण, दायित्व तथा समयसीमा का निर्धारण।

क्र0	प्रभाव	उपायों का परीक्षण	उत्तरदायी संस्था
1.	भूमि अधिग्रहण (लागू करने की सम्भावना नहीं)।	(SPCU) द्वारा नियमित आंतरिक परीक्षण तथा आवर्ती मूल्यांकन।	SPCU
2.	सम्पत्ति/भवन का अधिग्रहण	1A/TSUs द्वारा नियमित आंतरिक परीक्षण तथा आवर्ती मूल्यांकन	1A तथा TSUs
3.	जीविकोपार्जन की हानि/ जीविकोपार्जन के श्रोत	1A/TSUs द्वारा नियमित आंतरिक परीक्षण एवं मध्यवधि/ पूर्णावधि मूल्याँकन।	SPCU द्वारा मूल्यांकन सलाहकारों तथा प्रबंधन योजनाओं अथवा RAP अंकेशकों को भाड़े पर रखना।
4.	निजी तथा/अथवा सामान्य सम्पत्ति तक पहुँच का अभाव	1A/TSUs द्वारा नियमित आंतरिक परीक्षण एवं मध्यावधि/ पूर्णावधि मूल्यांकन	SPCU द्वारा मूल्यांकन सलाहकारों तथा प्रबंधन योजनाओं अथवा RAP अंकेक्षकों को भाड़े पर रखना।
5.	गैर–स्वामित्व धारकों का विस्थापन	1A/TSUs द्वारा नियमित आन्तरिक परीक्षण एवं मध्यावधि/पूर्णावधि	SPCU द्वारा मूल्यांकन सलाहकारों तथा प्रबंधन

		मूल्यांकन	योजनाओं अथवा RAP अंकेक्षकों को भाड़े पर रखना।
6.	लिंग कार्य योजना	SPCU के सामाजिक विकास पेशेवरों द्वारा NGO के साथ नियमित आंतरिक / परीक्षण किया जायेगा। मध्यावधि / पूर्णावधि मूल्यांकन।	SPCU द्वारा मूल्यांकन सलाहकारों तथा प्रबन्धन योजनाओं अथवा RAP अंकेक्षकों को भाड़े पर रखना।

<u>तालिका–4</u> पर्यावरणीय तथा सॉंस्कृतिक हेरिटेज प्रभावों को कम करना, परीक्षण करना, दायित्व तथा समय–सीमा का निर्धारण।

क्र0	परियोजना चरण	उपायों का परीक्षण	उत्तरदायी संस्था
1	उपपरियोजना का परीक्षण कर प्रस्तावित उपपरियोजनाओं के वर्गीकरण का अनुमोदन।	**ए)** कार्यदायी संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श कर **क)** परियोजना की प्राथमिकताओं के आधार पर उपपरियोजना की योग्यता का मूल्यांकन करना। उपपरियोजना **ख)** उपपरियोजना की रिपोर्ट के क्षेत्र का चिन्हीकरण। बी) 1A/TSUs द्वारा प्रस्तावित प्रभावों का वर्गीकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	SPCU
2	ESMF के साथ सन्तोषजनक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उप–परियोजना का परीक्षण	प्रबन्धन योजनाओं (EMP, RAP, GAP, PCRMP) का विस्तृत परीक्षण तथा आवश्यकतानुसार स्थल बिजिट तथा जाँच, स्थल की उपयुक्तता का मूल्यांकन, प्रबन्धन योजनाओं की पर्याप्तता, जोखिम का विश्लेषण तथा कानूनी सहमतियाँ उपपरियोजना द्वारा प्रबन्धन योजनाओं को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।	SPCU
3	प्रबन्धन योजनाओं पर SPCU का अनुमोदन।	SPCU द्वारा समीक्षा तथा अनुमोदन के लिये परियोजना की स्टियरिंग कमेटी को संस्तुति करना।	SPCU
4	प्रबन्धन योजनायें, कार्यान्वयन, परीक्षण तथा समीक्षा	क) त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट्स तैयार करना। ख) आवश्यकतानुसार स्थल भ्रमण तय करना। ग) तृतीय पक्ष द्वारा अंकेक्षण	SPCU, 1As, TSUs, ठेकेदार

5.3 शिकायतों हेतु तंत्र की व्यवस्था :–

Grievance Redressal Cells (GRCs) के साथ एक समेकित तंत्र की स्थापना की जोयगी जो राज्य तथा उपपरियोजना के स्तर पर होगी। शिकायतें यदि कोई हैं, को विभिन्न माध्यमों जैसे व्यक्तिगत, लिखित रूप में, किसी टोल फ्री फोन लाईन के माध्यम से, सम्बन्धित अधिकारियों को सीधे फोन द्वारा तथा आन–लाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। सभी समस्त स्थानीय सम्पर्कों तथा शिकायत प्रस्तुत करने के विकल्पों को स्थल

पर लगाये गये सूचना–पटों पर प्रदर्शित किया जायेगा। यह सुविधा RTI Act of 2005 (सूचना के अधिकार) के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले जनसूचना अधिकारियों के अतिरिक्त होगी। परियेाजना RTI Act of 2005 के अधीन होगी तथा स्वयं स्टेक–होल्डर्स से सूचना साझा करेगी जिसमें समुदाय तथा लाभार्थी भी सम्मिलित होंगे। परियोजना की एक संचार रणनीति होगी जिसमें प्रमुख बल सक्षम एवं प्रभावी रूप से प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रयोग, बिल बोर्ड्स, पोस्टर्स, वाल राईटिंग तथा कोई अन्य तरीका जो स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त हो, तार्किक हो तथा मानव एवं वित्तीय श्रोतो के अनुसार हो। एक Grievance Redressal Cell (GRC) राज्य स्तर पर तथा अन्यत्र जहाँ निवेश किये जा चुके हैं अथवा किये जायेंगे। GRC में स्टाफ के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थााओं तथा उपपरियेाजना के स्तर पर E & S Officer से प्रतिनिधियों के अतिरिक्त समुदाय/प्रभावित व्यक्तियों में से दो प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा। इस Cell का प्रमुख एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा परन्तु शासकीय सेवारत नहीं होना चाहिये। GRC की अपनी नियमावली होगी। GRC के कार्यो में निम्न शामिल होंगेः–

(क) प्रत्येक दशा में समुदाय/लाभार्थियों तथा परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) की शिकायतों को सुनना।

(ख) पुनर्वास, पुर्नस्थापन एवं सम्बन्धित गतिविधियों में सहायता करना।

(ग) GRC केवल ऐसे ऐसे प्रकरणों को ही देखेगी जो पुनर्वास, पुर्नस्थापन तथा जो व्यक्तिगत शिकायतों से सम्बन्घित है।

(घ) GRC अपना निर्णय पीड़ित व्यक्ति को सुनने के 15 दिनों के अन्दर देगी।

(ङ) GRC का अन्तिम निर्णय उसके अध्यक्ष/प्रमुख द्वारा GRC के अन्य सदस्यों से सलाह के बाद दिया जायेगा जो सभी दूसरे सदस्यों पर बाध्य होगा।